

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

**ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों
के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,
जिनका उसके भगरुप या इस बारे सलाह देने के
प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन
बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की
बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों
के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।**

(मैनुअल-8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लालपुर, रिय रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com फ़ोन्याम: 0135 2662971 / फ़ैक्स: 2662334

पत्रांक : २२०/सू.एवंलो.स.वि. (प्रेस)-०८/२००८

देहरादून दिनांक २१ अप्रैल, २०२१

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन (सूचना अनुगाम-२) के शारानादश संख्या 163/XXIII/16-53 (यु.ना.) २००८ दिनांक १७ दिसम्बर, २०१५ तथा शासनादेश संख्या 276/XXIII/16-53 (यु.ना.) २००२ दिनांक १६ जनवरी, २०१६ में दी गई व्यवस्था के अनुसार पत्रकार कल्पाण कोष/उत्तराखण्ड व्यापार पत्रकार संघ की जना के संचालन हेतु निर्धारित समिति के कालम-३ में अनिवार्य पत्रकार संघना के सदस्यों का गर सरकारी सदस्य के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिवर्णों के अधीन एकदमाय नामित किया जाना है।

क्र.सं.	पत्रकार संगठन का नाम	प्रतिनिधि का नाम
01	उत्तराखण्ड पत्रकार महासंघ देहरादून	सृष्टि वीना उपाध्याय
02	श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून	श्री रमेश पाण्डी
03	जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	श्री योगेश भट्ट
04	नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हरिद्वार	श्री विनाक चन्द्र भट्ट

उक्त गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से ०२ वर्ष होगा। बैठक के दौरान उक्त सदस्यों को समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होंगे। समिति के सदस्यों का कार्यक्षेत्र एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें नियमावली के अधीन होंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(रिशभ सिंह चौहान)

महानिदेशक

संख्या : २२० /सू.एवंलो.स.वि.(प्रेस)-०८/२००८ तददिनांकित
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित सदस्यों को।
4. विभाग के समर्त अधिकारियों को।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. लेखा प्रभाग, सूचना विभाग।
7. समर्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(रिशभ सिंह चौहान)

महानिदेशक

